राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3) शासन सचिवालय, जयपुर
Phone & Fax: 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com

क्रमांकः एफ 7(4)ग्रावि/नरेगा/एसई/परि.वृक्षारोपण/2014/eoffice-58931 जयपुर, दिनांकः 22 JUL 2016

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस,
एवं जिला कलक्टर, समस्त।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण कार्यों के रखरखाव बाबत।

प्रसंगः– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 16.05.14, 01.05.15, 30.06.15 एवं 01.12.15।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत राजकीय परिसरों में वृक्षारोपण, सड़क किनारे वृक्षारोपण तथा चारागाह विकास के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है। मास्टर सर्कुलर, 2016–17 के बिन्दु सं. 2.5.2.6 में वृक्षारोपण कार्यों की सुरक्षा एवं रखरखाव के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों के क्रम में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों की सुरक्षा एवं रखरखाव के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिये जाते है :–

1. राजकीय परिसरों में वृक्षारोपण–
   1.1 पौध सुरक्षा एवं रखरखाव हेतु आवश्यकता अनुसार अकुशल श्रमिकों का नियोजन प्रासंगिक पत्र दिनांक 16.05.14 अनुसार करावे एवं
   1.2 आवन्टित पौधों की संख्या में से जीवित पौधों की संख्या के आधार पर मजदूरी भुगतान में कटौती करावे।
2. सड़क किनारे वृक्षारोपण के साथ–साथ नहर किनारे वृक्षारोपण हेतु भी प्रासंगिक पत्र दिनांक 01.05.2015 एवं 01.10.2015 अनुसार रुपये 19 प्रति जीवित पौधा प्रतिमाह (अधिकतम 200 जीवित पौधों पर) दिये जाने की व्यवस्था है। इसमें वृक्षारोपण हेतु निराई, गुडाई, सुरक्षा, पौधों का पानी पिलाना, खाद देना इत्यादि कार्य शामिल है।
3. चारागाह विकास–
   3.1 प्रासंगिक पत्र दिनांक 30.06.15 अनुसार पौधों की सुरक्षा हेतु महात्मा गांधी नरेगा मद में बीपीएल/एससी/एसटी/महिलाओं के SHG बनाये जाकर अथवा लाभार्थी समूह बनाकर उन्हें निर्धारित संख्या में प्रथम पाँच वर्ष में पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी दी जावे। आगामी पाँच वर्षों में इन पौधों से मिलने वाले उत्पाद में इन परिवारों को हक दिया जावे।
   3.2 न्यूनतम 5 हैक्टेयर चारागाह भू–भाग पर एक चौकीदार का प्रावधान किया जा सकता है (पौधों को लाभार्थी समूह/SHG को नहीं देने की स्थिति में)।

कृपया उक्तानुसार वृक्षारोपण कार्यों की सुरक्षा एवं रखरखाव किया जाना सुनिश्चित करावे।

भवदीय

21/7/16

(रोहित कुमार)
आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
5. चीफ आपरेटिंग मैनेजर, राजीविका, जयपुर।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस